जीसस एंड मेरी कॉलेज
नई दिल्ली
JESUS AND MARY COLLEGE,
NEW DELHI

विद्यार्थी अनुबंध प्रपत्र
STUDENT CONTRACT FORM

Dear Student,
प्रिय विद्यार्थी

जीसस एंड मेरी कॉलेज में प्रवेश पर इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करके आपने कॉलेज के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए स्वेच्छा से एक समझौता किया है। आपसे निम्नलिखित नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि नीचे बताया गया है:

By signing this contract on admission to Jesus and Mary College you have entered willingly into an agreement to abide by the rules and regulations of the College. You are expected to adhere to the following rules and regulations as mentioned below:

1. प्रत्येक छात्र को कॉलेज परिसर में कॉलेज द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए

   Every student should carry the identity card provided by the college while on campus.

2. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हों। कॉलेज समय सारिणी के अनुसार, प्रत्येक व्याख्यान, व्यावहारिक या ट्यूटोरियल में उपस्थिति ली जाती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक छात्र को 66.66% की उपस्थिति पूरी करनी आवश्यक होगी। जो भी छात्र इस नियम को पूरा नहीं करेगा, उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैलेंडर के अनुसार आयोजित अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   Students are expected to attend classes regularly. Attendance is taken in every lecture, practical or tutorial, as prescribed in the College timetable. The attendance requirement of 66.66% must be fulfilled by every student in every course. Any student who does not meet this requirement will not be permitted to take the end Semester examinations conducted as per the calendar of the University of Delhi.

3. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम में उल्लिखित संपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम का पालन करें। छात्रों को सभी परीक्षण लिखने चाहिए और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए दिए गए परियोजना कार्य निर्धारित समय के भीतर जमा करने चाहिए।

   Students are expected to follow the entire academic programmes as outlined in the syllabus provided on the website of the University of Delhi. Students should write all the tests and submit the assignments given for each course within the prescribed time.

4. छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने और जमा करने, वैकल्पिक पेपर के विकल्प और किसी भी अन्य आधिकारिक दस्तावेज के लिए समय सीमा का पालन करना होगा।

   Students must comply with deadlines for filling in and submitting examination forms, choices for optional papers, and any other official documentation.

5. प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। छात्रों को हर सेमेस्टर में परीक्षा देने की सलाह दी जाती है। सेमेस्टर के भीतर परीक्षाओं को पूरा न करने पर , डिग्री कार्यक्रम को समय पर पूरा करने में देरी होगी।
   Examinations are held at the end of every semester. Students are advised to take the examinations every semester. Failure to complete the examinations within the semester will lead to delay in completing the degree program on time.

6. परीक्षा के दौरान किसी भी रूप में नकल करते हुए पाए जाने वाले किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक सजा का सामना करना पड़ेगा। इसमें उम्मीदवार की परीक्षा रद्द करना शामिल हो सकता है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।
   Any Student found cheating in any form during examinations shall face severe disciplinary punishment in accordance with University Rules. This may include but not be limited to the cancellation of the candidate’s examination.

7. छात्राओं को निर्धारित समय पर या उससे पहले सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।
   The students are required to pay all College and University Fess on or before the stipulated time.

8. छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अपने संबंधित गुरुओं/शिक्षकों और छात्र सेवा केंद्र के संपर्क में रहें।
   The students are advised to stay in touch with their respective mentors/teachers and the student service center for any kind of support required.

9. छात्राओं को कक्षा समय के दौरान कॉलेज छोड़ने की अनुमति नहीं है। आपातकालीन स्थिति में ऐसा करने की अनुमति संबंधित विभाग के शिक्षक-प्रभारी से लेनी होगी।
   Students are not permitted to leave the College during class hours. In case of an emergency, permission to do so must be obtained from the Teacher-in-charge of the respective department.

10. भ्रमण, अध्ययन दौरों और अंतः कॉलेजी पाठ्येतर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छात्रों की बाहरी यात्रा के लिए माता-पिता से सहमति पत्र लेना अनिवार्य है।
    Consent forms from parents for outstation travel of students in excursions, study tours and participation in intercollegiate extracurricular programmes is mandatory.

11. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर में सभी शिक्षकों, साथी छात्रों, कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें और आपकी शिक्षा की चल रही प्रक्रिया में कॉलेज के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें।
    Students are expected to demonstrate respect to all teachers, fellow students, staff and support staff on campus and co-operate fully with the authorities of the College in the ongoing process of your education.

12. परिसर में गंदगी फैलाना प्रतिबंधित है। छात्राओं को कक्षाओं, कैंटीन और परिसर को साफ-सुथरा रखना आवश्यक है
    Littering on campus is prohibited. Students are required to keep the classrooms, canteen and the campus neat and clean.

13. जीसस एंड मैरी कॉलेज धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। जो भी छात्र इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
Jesus and Mary College is a no-smoking zone. Any student found violating this rule shall face disciplinary action.

Signature of Student | Signature of Parent/Guardian

विद्यार्थी का हस्ताक्षर | अभिभावक के हस्ताक्षर

Name of Student/विद्यार्थी का नाम ___________________________

Course/पाठ्यक्रम ________________________

Section/अनुभाग _________________________ Date/ दिनांक ____________

Roll No./अनुक्रमांक ______________________ Place/ स्थान _____________